

उत्तर प्रदेश शासन  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2  
संख्या-12/2017/553/सोलह-2-2017-799/14  
लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

**कार्यालय आदेश**

श्री महेन्द्र शंकर, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण, राजकीय पालीटेक्निक, शाहाबाद, रामपुर को सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर आवेदन करने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० के पत्र संख्या-26/ई-स्था०राज(एम-135), दिनांक 05-07-2016 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी थी।

2- उपर्युक्त के क्रम में श्री महेन्द्र शंकर का सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर चयन/नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर धारणाधिकार (लियन) सहित कार्यभार ग्रहण करने के लिये निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर द्वारा किये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री महेन्द्र शंकर को दिनांक 31-03-2017 से शासनादेश संख्या-19/8/1980-कार्मिक-1, दिनांक 29-04-1980 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग से 03 वर्ष के धारणाधिकार (लियन) संरक्षित रखते हुए कार्यमुक्त करने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(सुरजन)  
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर को उनके पत्र सं०-49498/ई-स्था०राज(एम-135), दिनांक 27-03-2017 के संदर्भ में।
- 3- कोषाधिकारी, रामपुर।
- 4- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)।
- 6- प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, शाहाबाद, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री महेन्द्र शंकर को तत्काल प्रश्नगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप बाबू)  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।